न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

रसद विविध :: 10 / 2018 ::

| प्रार्थी :– | बनाम | अप्रार्थीः– |
| --- | --- | --- |
| सरकार जरिये जिला प्रवर्तन निरीक्षक, पाली | | मो. युसुफ पुत्र निजामुददीन लौहार, निवासी 9, सूरजपोल, पाली हाल मालिक मै. राजस्थान लाईट हाउस, सूरजपोल पाली |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार
अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक : 21.06.2018

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध उनकी फर्म मैसर्स राजस्थान लाईट हाउस, सूरजपोल पाली से वक्त निरीक्षण दिनांक 10.04.2018 को मौके पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी. कम्पनी के जिनमें दो पूर्ण गैस से भरे एवं एक लगभग 7.5 किग्रा गैस भरी हुई तथा 8 पीतल की रिफिलींग नलियां का अवैध संग्रहण किए जाने पर जब्त कर राज्यसात करने हेतु पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि दिनांक 10.04.2018 को घरेलू गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी व अवैध रिफिलिंग की रोकथाम हेतु प्रर्वतन निरीक्षक श्री कमल कुमार मय जिला रसद अधिकारी श्री दिनेश विश्नोई (प्रशिक्षु आर.ए.एस.) एवं सुश्री भावना दयाल के सूरजपोल पाली स्थित मैसर्स राजस्थान लाईट हाउस पर पहुचें। मौके पर अप्रार्थी श्री मो. युसुफ पुत्र निजामुददीन लौहार उपस्थित मिला व उसने बताया कि वह स्वयं ही फर्म का मालिक है। प्रार्थी ने मौके पर रूबरू मौतबिरान श्री अजयसिंह पुत्र प्रेमसिंह निवासी 25, सुभाष नगर, पाली की उपस्थिति में फर्म की जांच करने पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी. कम्पनी के जिनमें दो पूर्ण गैस से भरे एवं एक लगभग 7.5 किग्रा गैस भरी हुई तथा 8 पीतल की रिफिलींग नलियां पायी गयी। मौके पर अप्रार्थी से विधिक दस्तावेज मांगने पर घरेलु गैस सिलेण्डर भरे हुए संग्रहण करने अथवा बिक्री करने से संबंधित किसी प्रकार के वैद्य दस्तावेज नहीं पाए गए थे तथा न ही अप्रार्थी ने उपलब्ध करवाएं। अप्रार्थी द्वारा वैद्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर प्रार्थी ने मैसर्स बी. के. एन्टरप्राईजेज पाली के प्रतिनिधि श्री पवन कुमार पुत्र श्री गोपाराम निवासी 187, महाराणा प्रताप नगर, पाली से उपरोक्त जब्तसुदा सिलेण्डरों का तौल हैंगिंग स्केल मंगवा कर करवाया गया तथा इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लेते हुए एवं संग्रहण करते हुए पाए जाने के फलस्वरूप द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना करने पर उपरोक्त सामग्री को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु श्री पवनकुमार पुत्र गोपाराम प्रजापत निवासी पाली हाल गोदाम कीपर मैसर्स बी. के. एन्टरप्राईजेज, पाली को सुपुर्दगीनामे पर दिये गये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही के संबंध में मौके पर मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स भी लिए गये जो पत्रावली संलग्न है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त गैस सिलेण्डरो को बिना वैध परमिट के दूकान में संग्रहण कर व अवैध रिफिलिंग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3 ए, सी की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है। अतः निवेदन है कि जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डरो एवं अन्य सामग्री को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी की दुकान उसके रहवासी मकान में ही है तथा अप्रार्थी उसी दुकान के ऊपर परिवार के साथ निवास करता है। अप्रार्थी गैस चुल्हे रिपेयर करने, बेचने एवं पुराना भंगार खरीदने का कार्य करता है। दिनांक 10.04.2018 को प्रर्वतन निरीक्षक

क्रमश पृष्ठ :: 2

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

पाली, जिला रसद अधिकारी पाली मय टीम के उसकी दुकान पर आये तथा उसके दो सिलेण्डर कनज्यूमर न. 613852 मय डी.बी.सी. एवं एक सिलेण्डर जो उसके पिता की बरसी के कारण रिश्तेदार से लाया हुआ था को जब्त कर दिया। अप्रार्थी का भंगार खरीदकर बेचने के व्यापार करने के कारण उसकी दुकान में 8 पीतल की रिफिलिंग नलियां पड़ी थी जिनको भी जब्त कर लिया। जबकि अप्रार्थी न तो घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करता है न ही अवैध गैस रिफिलींग का कार्य करता है। अतः अप्रार्थी के जब्तसुदा सिलेण्डर व्यावसायिक उपयोग में लिया जाना सिद्ध नहीं होने से रिलीज करावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थी ने जैर प्रार्थना पत्र जब्तसुदा गैस सिलेण्डर उनके व्यावसायिक परिसर मैसर्स राजस्थान लाईट हाउस पाली में पाया जाना स्वीकार किया। अप्रार्थी द्वारा दो गैस सिलेण्डर को स्वयं का एवं एक रिश्तेदार का होना जाहिर किया है। लेकिन अप्रार्थी के पास से प्राप्त सिलेण्डर उसके स्वयं के है यह स्पष्ट करने में असफल है तथा अप्रार्थी के पास से प्राप्त रिफिलींग नलियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अप्रार्थी द्वारा अपनी दुकान में अवैध रूप से गैस सिलेण्डर की रिफिलींग का कार्य किया जाता है। अप्रार्थी से प्राप्त सिलेण्डर प्रार्थी द्वारा कब्जे में ली गई सामग्री जिसमें से 3 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी. कम्पनी के जिनमें दो पूर्ण गैस से भरे एवं एक लगभग 7.50 किग्रा गैस भरी हुई तथा 8 पीतल की रिफिलींग नलियां पायी गयी उपरोक्त घरेलु गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग व अवैध रिफिलींग किए जाने के कारण जब्त कर सुपुदर्गीनामे पर दिए गए। इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र गैस कनेक्शन संबंधी वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। जबकि अप्रार्थी की दुकान उसके रहवासी मकान में ही होने से अगर उसके पास कोई अनुज्ञा पत्र होता तो उसी समय उपलब्ध करवाना चाहिए जबकि उसने ऐसा नहीं कर गैस संबंधी दस्तावेज अपने जवाब के साथ पेश किए है इससे प्रतीत होता है कि दस्तावेज बाद में किसी अन्यत्र स्थान पर स्थित घर से लाए गए है। अप्रार्थी के दूकान में मिली 8 रिफिलींग नलियों से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी अपनी दुकान में अवैध गैस रिफिलींग का कार्य करता था। इस संबंध में अप्रार्थी ने उसकी दूकान मे पाए गए तीसरे सिलेण्डर की वैधता बाबत कोई सबूत अथवा दस्तावेज आदिनांक पेश किए गए न ही अप्रार्थी द्वारा दूकान में गैस सिलेण्डर क्यों रखे इस बाबत कोई सन्तोषप्रद जवाब ही पेश किया गया। ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी मो. युसुफ द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की स्पष्ट अवहेलना किए जाने से घरेलु गैस सिलेण्डरों तथा अन्य जब्त सुदा आठ रिफिलींग नलियों को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध संग्रहण एवं अवैध रिफिलिंग किए जाने पर जब्तसुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी. कम्पनी को जिनमें दो पूर्ण गैस से भरे एवं एक लगभग 7.50 किग्रा गैस भरी हुई तथा 8 पीतल की रिफिलींग नलियां को राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डरो को मय गैस संबंधित कम्पनी में जमा करवाकर उससे प्राप्त राशि को एवं अन्य 08 रिफिलींग नलियां को नीलाम कर उससे प्राप्त समस्त राशि राजकीय कोष में जमा कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर पाली (राज.)